

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

कं./परियोजना/न.नि./2022/३६८

भिलाई, दिनांक 21/06/2022

// द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना //

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत पूर्व में स्थापित स्थलों पर युनिपोल स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्ति, एजेंसी/फर्म कंपनी जो नगर निगम भिलाई में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो से अधिकतम दर प्राप्त करने मुहरबंद लिफाफे मे दिनांक 07.07.2022 को 05:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 08.07.2022 को उपस्थित निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष 11:00 बजे आयुक्त महोदय द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा तृतीय लिफाफा पद्धति पर आधारित रहेगी। जिसका लिफाफा "अ" में शपथ पत्र 100 रु का स्टाम पेपर में जिसमें इस बात का उल्लेख हो की वह किसी भी निकाय अथवा शासकीय विभाग में काली सूची में शामिल नहीं है एवं धरोहर राशि (FDR) लिफाफा "ब" निविदादाता का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी, की छायाप्रति, आवश्यक दस्तावेज एवं कार्ययोजना (ड्राइंग डिजाइन) एवं विगत तीन वर्षों की आयकर रिट्टन की छायाप्रति तथा अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "स" में प्रदत्त समूह हेतु पृथक—पृथक दरें प्रस्तुत करना होगा। तीनो लिफाफा अलग—अलग मुहरबंद कर एक बड़े लिफाफे में डालकर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई में स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से 07.07.2022 को 5:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी। विलंब से आने वाले निविदा लिफाफा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 04.07.2022 को 03:00 बजे तक रु. 2000.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रत्येक समूह के लिए जमा कर राजस्व विभाग से प्राप्त की जावेगी, उक्त राशि वापसी योग्य नहीं होगी। उपरोक्त फार्म हेतु ठेका अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी, जिसमें नियम—शर्तों के आधार पर प्रतिवर्ष दर वृद्धि अनुसार राशि निविदादाता द्वारा जमा की जावेगी। समूह का विवरण निम्नानुसार है।

कमशः

क्र.	यूनिपोल स्थल का नाम	अमानत राशि (लाख में)	आपसेट प्राइस प्रति वर्गफुट
A	निगम की बाउण्ड्री (66एम.एल.डी. जल संयंत्र से नेहरू नगर चौक तक	1.00	113.00
B	नेहरू चौक मध्य से सुपेला चौक मध्य	1.00	115.00
C	सुपेला चौक मध्य से चन्द्रा मौर्या चौक मध्य	1.00	113.00
D	चन्द्र मौर्या चौक मध्य से पावर हाउस चौक मध्य	1.00	115.00
E	पावर हाउस चौक मध्य से डबरा पारा चौक मध्य	1.00	115.00
F	निगम की बाउण्ड्री (66 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र से सुपला चौक तक) (डिजिटल यूनिपोल)	2.00	883.00
G	जुनवानी एम.आर. 9 से डी.पी.एस. जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक	0.75	113.00
H	सुन्दर नगर से छावनी चौक (गौरव पथ रोड)	0.75	113.00
I	पावर हाउस चौक से ए.सी.सी. चौक तक	0.75	113.00
J	नेहरू नगर चौक से के.पी.एस. चौक एवं के.पी.एस. से अपोलो बी.एस.आर चौक तक	0.50	97.00
K	अवंती बाई चौक के आगे से एम.आर 10 रुंगटा कालेज तक	0.50	97.00
L	पेट्रोल पंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम.आर. 20 तक	0.50	97.00
M	सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग तक निगम की भूमि पर	0.50	97.00
N	रेल्वे कासिंग नेहरू नगर से ग्रांड डिल्लन होटल के सामने तक	0.50	97.00

टीप:- निविदा का विस्तृत नियम व शर्त नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com से डाउनलोड किया जा सकता है।



कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई
परियोजना शाखा
यूनिपोल के संबंध में जानकारी

समूह	समूह का नाम	अफ्सेट प्राइस रु. प्रति वर्ग फुट	संख्या	क्षेत्रफल
A	निगम की बाउण्ड्री (66एम.एल.डी. जल संयंत्र से नेहरू नगर चौक तक)	113.00	13	3900 वर्ग फीट
B	नेहरू चौक मध्य से सुपेला चौक मध्य	115.00	24	7200 वर्ग फीट
C	सुपेला चौक मध्य से चन्द्रा मौर्या चौक मध्य	113.00	05	1500 वर्ग फीट
D	चन्द्रा मौर्या चौक मध्य से पावर हाउस चौक मध्य	115.00	05	3000 वर्ग फीट
E	पावर हाउस चौक मध्य से डबरा पारा चौक मध्य	115.00	11	5200 वर्ग फीट
F	निगम की बाउण्ड्री (66 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र से सुपेला चौक तक) (डिजिटल यूनिपोल)	883.00	02	200 वर्ग फीट
G	जुनवानी एम.आर. 9 से डी.पी.एस. जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक	113.00	27	8100 वर्ग फीट
H	सुन्दर नगर से छावनी चौक (गौरव पथ रोड)	113.00	07	4200 वर्ग फीट
I	पावर हाउस चौक से ए.सी.सी. चौक तक	113.00	—	—
J	नेहरू नगर चौक से के.पी.एस. चौक, एवं के.पी.एस. से अपोलो बी.एस.आर चौक तक	97.00	02	200 वर्ग फीट
K	अवंती बाई चौक के आगे से एम.आर 10 रुंगटा कालेज तक	97.00	—	—
L	पेट्रोल पंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम.आर. 20 तक	97.00	04	2400 वर्ग फीट
M	सुपेला चौक से रेलवे कासिंग तक निगम की भूमि पर	97.00	05	500 वर्ग फीट
N	रेलवे कासिंग नेहरू नगर से ग्रांड डिल्लन होटल के सामने तक	97.00	—	—

नोट –

1. आवश्यतानुसार यूनिपोल की संख्या एवं आकार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

2. A से N तक सभी समूहों हेतु दरें आमत्रित हैं।

\ /
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत यूनीपोल निर्माण एवं विज्ञापन हेतु नियम एवं शर्तः—

1. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन हेतु खब्य के व्यय से यूनीपोल निर्माण एवं विज्ञापन के माध्यम से व्यय की वसूली की अवधि 05 वर्ष की होगी।
2. निविदा हि लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा "अ" (1) अमानत राशि का एफ.डी.आर. जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हुआ हो। (2) निविदा प्रपत्र मूल्य रु० 2000/- का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवीत पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति (4) निविदा दाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छाया प्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेसन की छाया प्रति (6) किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रभागित पत्र रखना होगा। (7) निविदा दाता किसी भी शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में ब्लेक लिस्टेट नहीं है संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। अथवा अर्ध शासकीय संस्था में ब्लेक लिस्टेट किये गये निविदा प्रपत्र में अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट लिफाफा "ब" में निविदा दर डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिख कर रखना होगा। निविदा दर में कॉट छाट नहीं होना चाहिए, दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सील बंदकर जमा करना होगा। लिफाफा "अ" में समस्त आवश्यक/वैध दस्तावेज पाये जाने पर ही लिफाफा "ब" (निविदा दर का लिफाफा) खोला जायेगा। सभी दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। निविदा के बड़े लिफाफे में प्रेषक की सम्पूर्ण विवरण संपर्क नम्बर स्पष्ट होना चाहिए एवं सीलबंद लिफाफे स्पीट पोर्ट/पंजीकृत डांक से भेजना होगा।
3. चयनित एजेंसी द्वारा यूनीपोल का डिजाइन, ड्राइंग एवं स्टेबिलीटी रिपोर्ट किसी रद्दक्यरल इंजीनियर से तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे विज्ञापन हेतु गठित समिति से रवीकृत कराना होगा।
4. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें समूह अनुसार अलग अलग ग्रुप के युनीपोल हेतु अलग अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक ग्रुप में जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा। अर्थात् अलग—अलग समूह संलग्न पत्रक में अंकित राष्ट्रीय अनुसार अलग—अलग सफल निविदाकार हो सकते हैं।
5. निविदा हेतु नामांकित समूह अनुसार पृथक—पृथक निविदा प्रपत्र हेतु 2000/- रु० का डिमांड ड्रापट एवं अमानत राशि का एफ.डी.आर जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना होगा।
6. अनुवंध 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पश्चात् रवीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की कमोत्तर वृद्धि की जायेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिगाह 1 प्रतिशत की दर से अधिगाह लिया जायेगा।

व्रमणः

अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा खीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन
एजेंसी की निविदा खीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल
निविदाकार को होने के पश्चात मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार द्वारा अन्तर की
अमानत राशि का एफ.डी.आर जमा करना होगा। निविदाकार के सफल संचालन एवं संधारण के
साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।

17. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जावेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी को
देय नहीं होगा।

18. एजेंसी द्वारा स्थापित यूनीपोल का संधारण एवं अन्य व्यवस्थाएं एजेंसी ख्यय के व्यय से करेगी।

19. नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर यथास्थिति में अधिपत्य प्राप्त कर
राजसात कर लिया जावेगा। जिसमें हर्जाना एवं दावा मान्य नहीं होगा।

20. एजेंसी को नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा विज्ञापन फलक लगाने की अनुमति अस्थायी रूप
से 05 वर्ष के लिए होगी। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा अथवा जनहित में नगर
पालिक निगम भिलाई को अधिकार होगा। कि सात दिवस पूर्व सूचना देकर विज्ञापन हटा
सकेगी। जिसका किसी भी प्रकार का हर्जाना या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार एजेंसी को
नहीं होगा।

21. एजेंसी को उपविधि विज्ञापन उपविधि 2012 तथा सभय-समय जारी नियमों का पालन करना
होगा।

22. नगर पालिक निगम भिलाई के योजनाओं/अन्य आवश्यक सूचना के प्रचार-प्रसार करने हेतु वर्ष
में 15 दिवस के लिए यूनीपोल में विज्ञापन निःशुल्क लगाया जाना एजेंसी का दायित्व होगा।

23. निर्मित यूनीपोल पर एजेंसी के द्वारा विज्ञापन फलक या विद्युत का कार्य किए जाते समय किसी
भी प्रकार की दुर्घटना होती है उसकी समर्त जगवादारी एजेंसी की होगी।

24. यह कि अनुबंध 05 वर्षों के लिए होगा तथा अनुबंध समाप्त होने पर अमानत राशि वापस कर
दिया जावेगा। यदि एजेंसी से बकाया राशि लेना शेष होगा तो उसे धरोहर राशि से कटौती कर
लिया जावेगा।

25. यूनीपोल स्थापना के पूर्व लगाए जाने वाले पोल का विरन्तु ड्राइंग डिजाइन को नगर पालिक
निगम भिलाई में गठित विज्ञापन समिति (जिसमें जोन रस्तर पर अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता
में जोन के कार्यपालन अभियन्ता के सहायक अभियन्ता एवं राजस्व प्रभारी सदस्य होंगे) से
प्रमाणित कर जमा किया जाना आनिवार्य होगा। निगम से अनुमति उपरांत कार्य प्रारंभ किया जा
सकेगा।

26. यूनीपोल स्थापना का कार्य सक्षम इंजीनियर की देखरेख में कराया जाना आवश्यक होगा। तथा
उसका सत्यापन गठित विज्ञापन समिति द्वारा किया जाना होगा। जिससे किसी संभावित
दुर्घटना से बचाव किया जा सके।

27. यूनीपोल हेतु रथल का चयन एजेंसी एवं विज्ञापन समिति के संयुक्त निरीक्षण उपरांत किया
जाएगा।

28. यूनीपोल हेतु दर, समूह अनुसार पृथक-पृथक कोट किया जाना होगा।

29. यूनीपोल स्थापना हेतु कायादेश निविदा की अंतिम तिथि से 45 दिवस में दिया जावेगा।

30. यूनीपोल स्थापना पश्चात् रेटिलीटी रिपोर्ट जो कि किसी स्ट्रक्चरल इंजिनीयर द्वारा तैयार
किया गया हो, विज्ञापन समिति से सत्यापित कर प्रस्तुत करेगा होगा।

ठित समिति में कर्तव्य एवं अधिकार निम्नानुसार रखे जाने हेतु सुझाव प्रेषित है।
समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण

1.	अधीक्षण अभियन्ता (जिनके प्रभार में उक्त जोन है)	- अध्यक्ष
2.	कार्यपालन अभियन्ता (संबंधित जोन के)	- सदस्य
3.	सहायक अभियन्ता (संबंधित जोन के)	- सदस्य
4.	सहायक राजरख अधिकारी	- सचिव सह सदस्य

समिति के दायित्व :-

- यूनिपोल हेतु निविदा में चयनित जोन अनुसार उक्त समूह में जिन-जिन रथल पर कितने यूनिपोल लगेंगे तथा उनकी अधिकतम ऊचाई एवं साईज क्या होगी इस संबंध में प्रतिवेदन समिति गठन की तिथि से 20 दिवस के भीतर अनिवार्यरूप से विज्ञापन अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
- निविदा उपरांत उक्त स्थल पर लगाए जाने वाले यूनिपोल हेतु निविदाकार द्वारा अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर के माध्यम से प्रस्तुत ड्राईंग, डिजाईन एवं स्टेबिलिटी रिपोर्ट का परीक्षण कर अपना रिपोर्ट 03 दिवस विज्ञापन अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
- बिन्दु क्रमांक 02 में यह रप्प्ट प्रतिवेदन होगा कि उपरोक्त स्ट्रक्चर हर दृष्टिकोण से सुरक्षित है एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं है।
- निविदाकार द्वारा उक्त स्ट्रक्चर के निर्माण के समय कमेटी के सदस्य उसका निरीक्षण करेंगे एवं यह सत्यापित करेंगे कि निर्माण कार्य स्वीकृत मापदण्ड के आधार पर एवं उचित गुणवत्ता का किया जा रहा है।
- यदि निविदाकार द्वारा किसी भी स्थिति में समिति का निर्देश का पालन नहीं किया जाता तो कमेटी लिखित प्रतिवेदन विज्ञापन अधीक्षक को देगा एवं संबंधित निविदाकार के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जावेगी।
- उपरोक्त सभी कार्य हेतु निर्धारित अवधि का विशेष ध्यान समिति द्वारा रखा जाना होगा। जिससे कि निविदाकार द्वारा समयसीमा के भीतर अपना कार्य किया जा सके।

✓

समूह का नाम	
A	निगम की बाउण्ड्री (66एम.एल.डी. जल संयंत्र से नेहरु नगर चौक तक)
B	नेहरु चौक मध्य से सुपेला चौक मध्य
C	सुपेला चौक मध्य से चन्द्रा मौर्या चौक मध्य
D	चन्द्र मौर्या चौक मध्य से पावर हाउस चौक मध्य
E	पावर हाउस चौक मध्य से डबरा पारा चौक मध्य
F	निगम की बाउण्ड्री (66 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र से सुपला चौक तक) (डिजिटल यूनीपोल)
G	जुनवानी एम.आर. 9 से डी.पी.एस. जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक
H	सुन्दर नगर से छावनी चौक (गैरव पथ रोड)
I	पावर हाउस चौक से ए.सी.सी. चौक तक
J	नेहरु नगर चौक से के.पी.एस. चौक एवं के.पी.एस. से अपोलो बी.एस.आर चौक तक
K	अवंती बाई चौक के आगे से एम.आर 10 रोड़ा कालेज तक
L	पेट्रोल पंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम.आर. 20 तक
M	सुपेला चौक से रेल्वे कारिंग तक निगम की भूमि पर
N	रेल्वे कारिंग नेहरु नगर से ग्रांड डिल्लन होटल के सामने तक

वचनबन्ध

(विज्ञापनकर्ता—आवेदक द्वारा विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन)उप-विधियां, 2012 की उपविधि-7(10) के अंतर्गत गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर इन विधियों की उप-विधि (4) के अंतर्गत नियुक्त अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाना है।)

.....नगर पालिक निगम द्वारा मुझे/हमें नगर पालिक निगम विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधि, 2012 की उप-विधि 7 के निबंधन में विज्ञापन अधिकार प्रदान किये जाने के एवज में निगम के क्षेत्र के जोन में व्यापार/व्यवसाय की सुरक्षित प्रेकटीस हेतु मैं/हम अधो—हस्ताक्षरकर्ता सत्य—निष्ठापूर्वक निम्नलिखित वचन देते और घोषणा करते हैं—

1. यह की मैं/हम होर्डिंग्स को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करूँगा / करेंगे और होर्डिंग्स की पूरी सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करूँगा / करेंगे।
2. यह की मैं निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान में स्वयं के द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को किसी क्षति, चोट या हानि भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई के निमित पर्याप्त राशि का तृतीय पक्ष का बीमा करवाऊंगा।
3. उपर्युक्त खण्ड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मैं/हम निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अपने द्वारा प्रदर्शित किसी विज्ञापन से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को होने वाली किसी प्रकार की क्षति, चोट या हानि, भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई हेतु सम्पूर्ण रूप से दायित्वाधीन रहूँगा / रहेंगे।
4. यह की मैं/हम मात्र ऐसी संख्या स्थानों और तरीके से विज्ञापन प्रदर्शित करेंगे जैसा की आयुक्त द्वारा विहित किया जाये तथा जिससे न तो पैदल चलने वाले को और न की आयुक्त द्वारा विहित किया जाये तथा जिससे न तो पैदल चलने वाले को और न यातायात में व्यवधान या परेशानी हो और न ही उनकी रोशनी से अँखे चौंधियाने व यातायात में व्यवधान या परेशानी हो और न ही उनकी रोशनी से अँखे चौंधियाने व या मुझे/हमें लिखित रूप से सुनित किया जायें तो मैं/हम अधीक्षक की संनुष्टि अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय करूँगा/ करेंगे।
5. यह कि अधीक्षक द्वारा मुझे/हमें लिखित में उपर्युक्त (4) के अन्तर्गत स्थिति सूचित करने के उपरांत 72 घण्टों के भीतर मेरे/हमारे द्वारा किन्हीं भी कारणों से सुधारात्मक उपाय न कर पाने पर उस दोष को दूर करने और /अथवा होर्डिंग्स को हटा देने के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होगा और मैं/हम इस संबंध में निगम द्वारा लिखित में मांगे गये खर्च और शास्ति के भुगतान हेतु दायित्वाधीन रहूँगा/ रहेंगे।

✓

14. यह कि सभी प्रकार की सूचनाओं और अन्य पत्राचार के प्रयोजन हेतु मेरा/हमारा संपर्क व्यौरा निम्नानुसार है—

नाम :—

पदनाम :—

पता :—

दूरभाष क्र. :— (मोबाइल / लैण्डलाइन)

फैक्स नं. (यदि हो)

ई मेल आई डी

मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एवं मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार गवाहों की मौजूदगी में दिनांक माह को स्थान में
..... निगम को प्रदान किया गया ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम और पदनाम